न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—428/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00428)

1. घासी पुत्र गुल्ला उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी बगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. सुन्दर देवी पत्नी लादूराम पुत्री गुल्ला जाति जाट निवासी बगरू खुर्द तहसील सांगानेर हाल निवासी किशनपुरा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर ।
2- तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 1.8.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, राजस्व वाद संख्या 69/2014

उपस्थितः—

1. श्री, बलवंत सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, मुकेश चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—23.9.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 69/2014 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 1.8.2014 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बावत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 379 हैक्टयर वाके ग्राम सुनाडिया तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज हिस्से में से वादीनी 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा सिजरा दर्शित करते हुए पक्षकारान एक ही संयुक्त हिंदू परिवार सदस्य होने तथा विवादित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात को बैचान खरीदी हुई आराजीयात होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से की घोषणा कानूनी तौर पर चाही है वादीनी के पिता ग्राम बगरू खुर्द तहसील सांगानेर में निवास करते थे एवं प्रतिवादी का ससुराल ग्राम किशनपुरा में है खसरा संख्या 743, 772, 780, 781, 786, 791 800, 801, 811 कुल किता 09 कुल रकबा 2.77 हैक्टर खसरा नम्बर 785, 799, 740 कुल किता 03 कुल रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वाके ग्राम बगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 गुल्ला से प्राप्त हुई थी वादीनी के पिता गुल्ला का स्वर्गवास हुआ उसका नामांतकरण वादीनी के खुलना चाहिए था परंतु अकेले प्रतिवादी ने खुलवा लिया उक्त भूमि को पक्षकारान सामलात में काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीया अपने ससुराल में भी आराजीयात की देखभाल एवं काश्त करती है उक्त आराजीयात को बगरू खुर्द से बैचान कर ग्राम रामपुरा भूरटिया में क्रय की है जो कि पैतृक संपत्ति से क्रय की गई आराजीयात है जिसमें वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.08.2014 को एक तरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 01.08.2014 के असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 26.03.2008 को प्रथम बार जानकारी होने पर जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु प्रार्थी अधिक वृद्ध होने व बीमार रहने के करण अपील प्रस्तुत नहीं कर सक अधीनस्थ न्यायालय में जरिए अधिवक्ता हरेक तारीख पेशी पर न्यायालय से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हेतु निवेदन करते रहे तथा इस आश्वासन व भरोसे पर रहे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया जाएगा परन्तु न्यायालय द्वारा तारीख पर तारीख प्रदान की जा रही है तथा वादीया रेस्पोडेंट द्वारा गत तारीख पेशी 11.11.2019 को धमकी दी की वह न्यायालय द्वारा निस्तारण नहीं होने देगा इसलिए प्राथी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.2014 को अपील प्रस्तुत कर निस्तारित करवा लेवे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि दिनांक 13.11.2005 को आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 3.79 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सुनाडिया में स्वअर्जित क्रय शु द्वा संपत्ति है जिसको दिनांक 17.11.2005 को उपपंजीयक कार्यालय, दूद पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है एवं अपीलांट रिकर्डेड खातेदार काश्तकार है अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध बिना सुनवाई किए ही एक तरफा आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा बाबत एवं ग्राम बगरू खुर्द की सम्पत्ति को बैचान कर उक्त संपत्ति सकें खरीदने बाबत प्रथम दृष्टया कोई दस्तावेज वादिया ने प्रस्तुत नहीं किए थे तथा वादीया सन 1970 से अपने पति के घर ग्राम किशनपुरा में निवास करती है तथा विवादित भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है अपीलांट बोनाफाईड स्ट्रेन्जर प्रजेजर है तथा मौके पर काबिज चला आ रहा है वादीया धारा 06 हिन्दू उत्तराधिकार के तहत भी किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीनी के पिता की 1964 में ही मृत्यु हो गई थी और वादीया अपने ससुराल में निवास करती थी इसलिए विवादग्रस्त भूमि में वादीया के पिता गुल्ला तथा वादीया का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है बिना टाईटल एवं बिना कब्जे के एक तरफा स्थगन आदेश जारी किए गए है। वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में 55 वर्ष पूर्व किए गए बैचान का आधार बनाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

उक्त रूपयों से विवादित जमीन क्रय करने के कथन अंकित किए हैं जबकि कानूनन क्रय शुदा भूमि में वादिया को लोका स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा वारिस पुत्र एवं पुत्री नहीं है तथा वृद्धावस्था के कारण प्रतिवादी एवं उसकी पत्नी को हैरान व परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.8.2014 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाव/वहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट दिनांक 26.03.2018 को उपस्थित होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी जानकारी अपीलांट को थी फिर भी यह अपील जानकारी होने के बावजूद भी मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्रार्थना–पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये है, जो मनगढ़त व असंतोषप्रद है इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने वहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.08.2014 को विवादित आराजी आराजी को रहन, बैचान नहीं करने के आदेश दिये है जिससे अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नही होती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते वहस हेतु नियत था। यदि विवादित आराजी को रहन, बैचान करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तो प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्टस को ही होगी तथा उक्त विवादित आराजी को अन्यत्र बैचान कर सकते है तथा राजस्व रिकार्ड में बदलाव कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण बहस हेतु नियत है। उक्त अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को निरतारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा अपील में जो देरी के कारण अंकित किये गये है जो संतोषजनक होने के कारण न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अपीलांट के द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने दिनांक 01.08.2014 को अन्तरिम स्थगन पारित करते हुए विवादित आराजी को आगामी पेशी तक रहन, बैचान नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते वहस हेतु नियत है। चूँकि प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तरिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही किया जाना है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाव व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

10. अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर